जग्गी आयोग का प्रतिवेदन

2053. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री धीरेन जे. शाह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 सितम्बर, 1992 के "पायनियर" में "5 डिपार्टमेंटस इंडीक्टेड फार सूरा ट्रेजेडी" शीर्षक से प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को जगदीश चन्द्र आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदन के निष्कर्षों के अनुसार इस दुर्घटना के लिए कौन-कौन से विभागों को अन्तर्ग्रस्त पाया गया है;

(घ) क्या इस दुर्घटना के घटित होने में कतिपय कानूनी कमियां होने के संबंध में कोई संकेत प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इन कमियों को दूर करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जेकब): (क) जी हां, श्रीमन्

(ख) आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली प्रशासन को सौंप दी है ।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि आयोग की रिपोर्ट में औषध विभाग, उत्तर प्रदेश, उत्पाद कर विभाग, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश : औषध नियंत्रण विभाग, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली पुलिस तथा उत्पाद कर विभाग, दिल्ली प्रशासन को अभ्यारोपित किया गया है ।

(घ) और (ङ) दिल्ली प्रशासन ने आगे सूचित किया है कि दिल्ली प्रशासन को उत्पाद कर तथा पुलिस विभाग की प्रक्रियाओं के संबंध में कोई कानूनी खामी नजर नहीं आई है । उन्होंने आगे बताया है कि वर्तमान में आयुर्वेदिक दवाईयों की बिक्री के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है । आई एस एम औषधों तथा औषध-उत्पादों की बिक्री स्थापनाओं को नियमित करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है । प्रशासन ने आगे सूचित किया है कि आई एस एम फारमुलेशन का कोई मानकीकरण मौजूद नहीं है । प्रशासन ने भारत के औषध नियंत्रक से, इनके निर्माण की एक समान पद्धति तैयार करने का अनुरोध किया है ।

Fire Safety Measures in Delhi buildings

2054. SHRI V. NARAYANASAMY : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are giving low priority to fire safety measures in the high rise buildings in Delhi;

(b) whether it is also a fact that various fire accidents including the recent one in Krishi Bhavan were due to the faulty fire safety measures; and

(c) if so, what remedial steps are being taken to provide adequate safety measures in all the high rise buildings in the capital ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB) :

(a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The Delhi Fire Service has reported that notices have been issued to the owners/occupiers of high-rise buildings in Delhi under the Delhi Fire Prevention & Fire Safety Act, and Rules framed thereunder to implement minimum 12 basic fire safety requirements.